प्रेस नोट जनपद रामपुर दिनांक 12-08-2019

01- जिलाधिकारी महोदय तथा पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा किया गया मन्दिरों का भ्रमण.

श्रावण माह के अन्तिम सोमवार को काफी संख्या में कावडियों द्वारा शिव मन्दिरों में जलाभिषेक किया गया तथा सडकों पर काफी संख्या में कावडियों का आवागमन रहा जिसके दृष्टिगत आज दिनांक 12-08-2019 को जिलाधिकारी महोदय तथा पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा रठोण्डा मन्दिर एवं मेले में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा मन्दिर के महन्तों से वार्ता की एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

02-थाना मिलकखानम:- दहेज हत्या में 02 गिरफ्तार

दिनांक 11-08-2019 को अभियुक्तगण 1. राकेश उर्फ बब्लू पुत्र भगवतशरण 2. भगवतशरण पुत्र रामलाल 3. चन्द्रवती पत्नी भगवतशरण 4. विजयपाल पुत्र भगवतशरण निवासीगण ग्राम खरकपुर दारानगर (शहजादनगर) थाना मिलकखानम, रामपुर द्वारा वादी श्री सन्तोष पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम रमपुरा थाना भोट, रामपुर की बहन शिखा उम्र करीब 21 वर्ष से दहेज में 01 लाख रुपये की मांग करने व मांग पूरी न होने पर फांसी लगाकर मृत्यु कर देने के सम्बन्ध में वादी श्री सन्तोष उपरोक्त द्वारा थाना मिलकखानम पर मु0अ0सं0-147/2019 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 12-08-2019 को थाना मिलकखानम पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण राकेश उर्फ बब्लू पुत्र भगवतशरण तथा श्रीमती चन्द्रवती पत्नी भगवतशरण निवासीगण ग्राम खरकपुर दारानगर (शहजादनगर) थाना मिलकखानम, रामपुर को उनके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी तथा अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

03-थाना सिविल लाइन:-210 ग्राम चरस व 01 अद्द नाजायज चाकू के साथ 02 गिरफ्तार

दिनांक 12-08-2019 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा पवन पुत्र जगदीश तथा आसिफ पुत्र जमील निवासीगण कस्बा व थाना स्वार, रामुपर को 210 ग्राम चरस नाजायज के साथ भमरौआ रोड से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के कब्जे से एक अद्द नाजायज चाकू भी बरामद हुआ। इस सम्बध्ंा मे थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-654/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम पवन व आसिफ तथा मु0अ0सं0-655/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आसिफ पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।